बिहार सरकार

कार्यालय अनुमण्डल पदाधिकारी, अररिया
(कल्याण–शाखा)

अल्पकालीन सूचना

अररिया अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों में विकास मित्र के पदों पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में प्रत्येक कार्य दिवस को संबंधित प्रखंड कार्यालय में जमा किया जा सकता है, जो निम्नलिखित है :–

कंडिका	कार्य विषय	अवधि
1	2	3
01	अनुमंडल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन	03.01.2025
02	प्रखंडवार रिक्तियों का समाचार पत्रों में प्रकाशन	18.01.2025
03	सबधित प्रखंड में आवेदन पत्र प्राप्त करना	21.01.2025 से 05.02.2025
04	मेधा सूची तैयार एवं मेधा सूची का प्रकाशन	10.02.2025
05	मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करना एवं निष्पादन करना	13.02.2025 से 21.02.2025
06	चयन सूची का प्रकाशन	25.02.2025
07	नियोजन पत्र का वितरण, शपथ ग्रहण एवं उन्मुखीकरण कार्यशाला	28.02.2025

रिक्ति की विवरणी :–

क्र0स0	प्रखंड/नगर का नाम	रिक्तियो की सं0	पंचायत/वार्ड का नाम	जाति बहुलता	कोटि आरक्षण
1	2	3	4	5	6
01	अररिया	01	झमटा	मुसहर	महिला

चयन हेतु अर्हता :–

1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी। मैट्रिक में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के अनुरूप किया जायेगा तथा समान मेधा अंक रहने पर ज्यादा उम्र रहने वाली अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन में मैट्रिक, नौवी पास अभ्यर्थी नहीं मिलने पर नन मैट्रिक, नौवीं पास, आठवी पास, सातवीं पास, छठी पास एवं पांचवी पास का नियोजन किया जा सकेगा।
2. महिलाओं के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर रहने पर भी चयन किया जा सकेगा। बशर्ते वे अक्षर अंचल योजना एवं स्वयं सहयता समूह के साथ जुडी हो तथा वे सामाजिक कार्य में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो।
3. महादलित आवेदक की उम्र दिनांक–01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए।
4. आवेदक महादलित परिवार से होगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के अभ्यार्थी का चयन किया जायेगा।
5. जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) से विकास मित्र का चयन किया जाना है, वहीं के निवासी से आवेदन प्राप्त किया जायेगा एवं चयन किया जायेगा।

चयन की प्रक्रिया :–

1. आवेदन विहित प्रपत्र में होना चाहिए। विहित प्रपत्र संबंधित प्रखंड कार्यालय तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
4. आवेदन पत्र जमा करने का स्थान संबधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यालय होगा।
3. आवेदन के साथ आवश्यक अनुलग्नक :–

a) मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति। नन मैट्रिक के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति/समकक्ष से निर्गत प्रवेश पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति। आठवी से पांचवी पास तक के अभ्यर्थियों के विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।

b) जाति प्रमाण पत्र, (c) निवास प्रमाण पत्र।

4. प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड कलस्टर मे महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है।
5. अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता मे गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए **state.bihar.gov.in/prdbihar** एवं **https://araria.nic.in** पर देखा जा सकता है।

26/12/24

अनुमंडल पदाधिकारी,
अररिया।